• बीआरकेजीबी चिकित्सकों को ऋण योजना

1	**उद्देश्य**	➢ क्लीनिक/क्लीनिक–कम–आवासीय/नर्सिंग होम/रोगजांच प्रयोगशाला के निर्माण/विकास हेतु। ➢ मेडीकल/डायग्नोस्टिक उपकरणों को क्रय करने हेतु। ➢ ऑपरेशन थियेटर की स्थापना हेतु। ➢ चिकित्सक ऑफिस उपकरण यथा कम्प्यूटर, फैक्स, एयरकंडीशनर एवं फर्नीचर को क्रय करने हेतु। ➢ कार, एम्बुलेंस को क्रय करने हेतु। ➢ विद्यमान परिसर/नर्सिंग होम/क्लीनिक के विस्तार/साजसज्जा/आधुनिकीकरण हेतु। ➢ कब्जे हेतु तैयार परिसर/नर्सिंग होम/क्लीनिक को एकमुश्त क्रय करने हेतु **मेडिसिन स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर कार्यशील पूंजी।**
2	**ऋण सीमा**	न्यूनतम ₹ 50000/– अधिकतम : ➢ ग्रामीण/अर्धशहरी शाखाओं हेतु– ₹ 15.00 लाख (कार्यशील पूंजी ₹ 1.00 लाख) ➢ शहरी शाखाओं हेतु – ₹ 50.00 लाख (कार्यशील पूंजी ₹ 3.00 लाख) **सम्पार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध नहीं होने पर अधिकतम ₹ 5.00 लाख तक की ऋण सीमा स्वीकृत की जाये।** **₹ 5.00 लाख एवं अधिक ऋण राशि हेतु चिकित्सक/चिकित्सा इकाई का न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि का अनुभव/स्थापित होना अनिवार्य है।**
3	**पात्रता**	व्यक्तिगत/प्रोपाइटरशीप/पार्टनरशीप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी जो कि मेडिकल/ डायग्नोस्टिक/पैथोलॉजिकल सुविधायें प्रदान करते हो। आवेदक/प्रमोटर्स का चिकित्सा विज्ञान की मान्यता प्राप्त किसी भी शाखा यथा MBBS/BAMS/BDS से डिग्रीधारक अथवा Physiotherapy/Radiology का कोर्स किया हुआ होना अनिवार्य है तथा भारत में प्रैक्टिस करने हेतु सम्बन्धित अधिकृत संस्थान में पंजीकरण किया हुआ होना अनिवार्य है। प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के मामले में कम्पनी का उद्देश्य क्लॉज जन समुदाय को चिकित्सीय सुविधायें प्रदान करने हेतु सत्यापित होना चाहिए।
4	**ब्याज दर**	**सम्पार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध होने पर : BPLR – 2.50 = 12.00%** **सम्पार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध नहीं होने पर : BPLR – 1.50 = 13.00%** समय – समय पर बैंक द्वारा परिवर्तनीय। ब्याज दर उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कुल सीमा के आधार पर निर्धारित की जायेगी एवं एक खाते के लिए एक दर ही प्रभारणीय होगी।
5	**मार्जिन**	➢ सम्पार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध होने पर : न्यूनतम 15% ➢ सम्पार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध नहीं होने पर : न्यूनतम 25% ➢ **कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन की आवश्यकता नहीं है।**
6	**ऋण सीमा का निर्धारण**	प्रोजेक्ट अनुसार आवश्यकता आधारित वित्तपोषण, प्राजेक्ट की आर्थिक व्यवहार्यता एवं पुनर्भुगतान हेतु पर्याप्त आय सृजन की संतुष्टि के आधार पर किया जाये। कार्यशील पूंजी : प्रोजेक्टेड सकल आय का 10% **ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के दौरान आवेदक की पुनर्भुगतान क्षमता अनुमानित आय के आधार पर Consider की जाये।**

7	**प्रतिभूति**	**<u>₹ 5.00 लाख तक ऋण हेतु</u> :** ➢ ऋण राशि से सृजित आस्तियों का बैंक के पक्ष में दृष्टिबंधन। ➢ तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत जमानत प्राप्त की जाये, जिसकी पर्याप्त हैसियत हो अर्थात् न्यूनतम शुद्व हैसियत (Net Means) ऋण राशि के बराबर हो। **<u>₹ 5.00 लाख से अधिक ऋण हेतु</u> :** ➢ ऋण राशि से सृजित आस्तियों का बैंक के पक्ष में दृष्टिबंधन। ➢ ऋण राशि के 150% के बराबर DSV वाली अचल सम्पत्ति का बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधन (प्राथमिक + सम्पार्श्विक)। **अथवा** ➢ ऋण राशि के 110% के बराबर Face value/Surrender value की NSCs, Govt. Bonds का बैंक के पक्ष में Pledge/Life Insurance Policies इत्यादि का Assignment। **अथवा** ➢ ऋण राशि के समतुल्य वर्तमान बकाया मूल्य की Bank's FDR पर लियन मार्क। ➢ बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक की जाने वाली अचल सम्पत्ति, NSCs, Govt. Bonds, Bank's FDR आवेदक, प्रोपाइटर, साझेदार अथवा निदेशक के नाम या उनके निकट रिश्तेदार (यथा पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन अथवा पुत्र/पुत्री) के नाम हो, जिन्हें ऋण प्रस्ताव में जमानतदार/सहऋणी लिया जाये। ➢ Life Insurance Policies केवल आवेदक, प्रोपाइटर, साझेदार अथवा निदेशक के नाम ही होनी चाहिए। ➢ शाखा द्वारा बैंक के अनुमोदित वैल्युअर से साम्यिक बंधक हेतु प्रस्तावित अचल सम्पत्ति की वैल्यूशन रिपोर्ट प्राप्त की जाये। ➢ सम्पत्ति का 3 वर्ष में एक बार वैल्यूशन करवाया जाये।
8	**पुनर्भुगतान अवधि**	**अधिविकर्ष सीमा** (कार्यशील पूंजी हेतु) ➢ 12 माह, वार्षिक समीक्षाधीन (खाते के नवीनीकरण हेतु वार्षिक आय की घोषणा प्राप्त कर रिकार्ड में रखा जाये। फरवरी माह के अन्त में प्रति वर्ष स्टॉक स्टेटमेन्ट प्राप्त किया जाये **मांग ऋण/आवधिक ऋण** ➢ 6 माह के मोरेटोरियम पीरियड सहित **60 माह।** ➢ प्राजेक्ट समाप्ति के एक माह पश्चात् अथवा अधिकतम 6 माह के मोरेटोरियम पीरियड, दोनो में से जो पहले हो, से EMI का भुगतान प्रारम्भ होगा। ➢ मोरेटोरियम पीरियड के दौरान खाते में नामे होने वाले ब्याज की वसूली खाते में जब ओर जितनी नामे होती है, के आधार पर की जाये।
9	**सेवा प्रभार**	समय – समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार प्रभावी।
10	**अन्य प्रावधान**	➢ चिकित्सकों की कार एवं व्यक्तिगत ऋण हेतु अनुरोध को विद्यमान बीआरकेजीबी अपना वाहन ऋण एवं बीआरकेजीबी प्रीमियम सुलभ ऋण/बीआरकेजीबी सुलभ ऋण योजनान्तर्गत नियम एवं शर्तों के अधीन Consider किया जाये।